एच ओ ई आर

### ०परिचय—

- 0 1951 में बने कार्यकाल नियम में 1961 में संशोधन किए गए।
- न्यायमूर्ति मियांभाई को 1969 में इस नियम के पुनर्विचार हेतु सौंपा गया।
- इनकी सिफारिशें 1972 को पेश हुई।
- जिनके आधार पर कार्यकाल नियमों में कुछ महत्वपूर्ण पाविर्त्तन हुए,
- जो 01.08.74 से लागू हुए।

- उद्देश्य—
- 1. रेल कर्मचारियों के काम के घंटों का निर्धारण एवं नियमन।
- 0 2. काम के बीच जरूरी विराम।
- 3. साप्ताहिक अवकाश
- 4. समयोपरी भत्तों का नियमन आदि।

## ०लागू होने की सीमा-

- वे रेल कर्मचारी जो फैक्ट्री एक्ट, माइन्स एक्ट या जहाजरानी एक्ट से गवर्न होते हैं।
- और एक्सक्लूडेड कर्मचारी, जिनका विवरण नियम में दिए गए हैं,
- को छोडकर सभी आकस्मिक एवं एवजी कर्मचारियों सहित सभी अराजपत्रित कर्मचारियों पर लागू।

#### o कर्मचारियों का वर्गीकरण—

- कार्यरत और निष्क्रिय समय की गणना के आधार पर कर्मचारियों का वर्गीकरण किया गया है।
- o कर्मचारियों का वर्गीकरण करना और उसे बदलना महाप्रबंधक की शक्ति में आता है।

- o इंटेंसिव (गहन) –
- किंवन, लगातार एकाग्रता और थका देने वाला कार्य।
- निष्क्रिय समय लगभग नहीं।
- टेलिफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, सेक्शनल कंट्रोलर, सिगनलर, केबिनमैन।
- एसेंशियल इंटरिमटेंट (आवश्यक विरामी)—
- लगातार कार्य की आवश्यकता नहीं।
- 0 12 घंटे के कार्य समय में निष्क्रिय समय 6 घंटे या अधिक।
- वेटिंग रूम बैरा, सफाईवाला, सैलून अटेंडेंट, सी क्लास गेटमैन, रेस्टहाउस केयर टेकर।

#### 3. एक्सक्लूडेड (अपवर्जित)—

- ० एच0 ओ० इ० आर० लागू नहीं।
- o कार्य के स्वभाव के आधार पर।
- गोपनीय कार्य में लगे कर्मचारी, सशस्त्र पुलिस दल या सुरक्षा बल, स्कूल अध्यापक, कुछ हेल्थ एवं मेडिकल स्टाफ— मेट्रन, सिस्टर, मिडवाइफ आदि।
- पर्यवेक्षक कर्मचारी भी इस वर्ग में आते हैं, जिनकी सूची बोर्ड जारी करता है।
- 4.अविरामी (कॉन्टीन्यूअस) —
- कर्मचारी जो उपरोक्त तीनों वर्गों में नहीं आते।
- स्टेनों, टाइपिस्ट, नॉन सुपरवाइजरी क्लर्क, गार्ड, ड्राइवर, टी टी ई।

वर्ग	इंटेंसिव	कॉन्टीन्यूअस	एसेंशियल इंटरिमटेंट
रोस्टर सीमा	42	48	48+24
तैयारी के लिए समय	3	3 या 6	3
वैधानिक सीमा	45	54	75
शिफ्ट ड्य्टी	6.5	8	12
साप्ताहिक विश्राम	30	30	24

- Full night:
- Period between 10 pm and 6 am
- o Long-on:
- A period of duty over 8/10/12 hours in case of Intensive/Continuous/Essentially Intermittent workers respectively.
- Short-off: A period of rest which is
- a) In case of Intensive workers less than 12 hours in a roster of six hours duty and less than 14 hours in a mixed roster of 6 and 8 hours duty.
- b) In case of Continuous workers less than 10 hours.
- o c) In case of Essentially Intermittent workers less than 8 hours.

#### Split duty:

- a) Spells of duty shall not exceed 3 and no of breaks not to exceed two.
- b) In case of employment of Continuous nature Railway employee whose place of residence is beyond 1.6 km from the place of duty seven hours of split duty shall be treated as equivalent to 8 hours of normal duty.
- While preparing rosters long on and short off shall be avoided

#### **Running Staff:**

- a) Running staff will have a link roster with standard hours 104 hours and statutory limit of 108 hours.
- b) Link should be such that it won't exceed 10 hours from "signing on" to "Signing off".
- c) They are given 4 periods of rest 30 consecutive hours or 5 periods of 22 consecutive hours each including a full night.

# धन्यबाद